



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 1, 2014/माघ 12, 1935

No. 249]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 1, 2014/MAGHA 12, 1935

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

(वित्तीय सेवाएँ विभाग)

(Department of Financial Services)

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2014

New Delhi, the 1st February, 2014

का.आ. 302(अ).—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा, 1 फरवरी, 2014 को उस तिथि के रूप में नियमित करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम के सभी उपबंध लागू होंगे।

S.O. 302(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Central Government hereby appoints 1st day of February, 2014 as the date on which all the provisions of the said Act, shall come into force.

[फा. सं. 1/2/2013-पै.सु.]

[F. No. 1/2/2013-PR]

अनूप वधावन, संयुक्त सचिव

ANUP WADHAWAN, Jt. Secy.